कार्यालयीन उपयोग हेतु

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल

वीडियो कांफ्रेंसिंग मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.2023 का कार्यवाही विवरण-

दिनांक 17.07.2023 को मंत्रालय स्थित एन.आई.सी. कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग मासिक समीक्षा बैठक प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मण्डी बोर्ड, मुख्यालय के अधिकारीगण एवं आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री एवं प्रदेश की मण्डियों के मण्डी सचिव उपस्थित रहे। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

(01) मण्डी सचिवों की उपस्थिति :-

वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक में कतिपय मण्डी सचिव द्वारा भाग नहीं लेने की स्थिति पाई गई। मीटिंग के दौरान अनावश्यक आडियो/वीडियो ऑन रखकर व्यवधान उत्पन्न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई, यह उक्त कृत्य अनुचित एवं गैर जिम्मेदाराना है। भविष्य में इसे ध्यान रखते हुए वीड़यो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में एजेण्डा अनुसार पूर्ण जानकारी सहित मण्डी सचिव स्वयं अनिवार्य रूप से भाग लें। आंचलिक अधिकारियों को अपने स्तर से वीडियो कांफ्रेंसिंग में अनुपस्थित मण्डी सचिव का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए।

(02) आवक एवं आय की समीक्षा :-

संभागवार कृषि उपजों की अप्रैल से जून, 2023 की प्रगामी आवक की समीक्षा में पाया गया कि भोपाल -21.85%, उज्जैन -10.18%, सागर -06.23%, जबलपुर -14.56%, रीवा -28.16% ऋणात्मक आवक रही है। आंचलिक संयुक्त संचालक/उप संचालक एवं मण्डियों के सचिवों द्वारा बताया गया कि गत वर्ष गेहूं के निर्यात एवं समर्थन मूल्य पर उपार्जन संबंधी कारणों से कुछ जिन्सो की आवक में कमी हुई है। जिंसवार उत्पादन के अनुपात में आवक में कमी का तथ्यात्मक कारण अस्पष्ट होने से आंचलिक अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा करने और 10 दिवस में मंडीवार, जिंसवार कमी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्राप्त प्रतिवेदनों पर प्रबंध संचालक द्वारा पृथक से आवक-आय की समीक्षा की जावेगी।

(03) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) :-

ई-नाम परियोजना में शामिल नवीन 58 मण्डियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस अनुदान राशि से कम्प्यूटर सामग्री, फर्नीचर, लैब सामग्री क्रय करने तथा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न घटकों पर अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक- 63-64 दिनांक 10.07.2023 से किया गया है। संबंधित मण्डियां उक्त परिपत्र में निर्धारित विवरण, स्पेसिफिकेशन, भण्डार क्रय नियम के तहत एक माह के भीतर गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(04) ई-मण्डी एप :-

ई-मण्डी योजना पायलट मण्डियां (भोपाल, इंदौर, देवास, सागर, गुना, सतना, जबलपुर, हरदा) में संचालित है। संबंधित मण्डियां 02 पी.ओ.एस. मशीन क्रय कर मण्डियों में कृषकों को प्रवेश पर्ची, अनुबंध पर्ची तथा तौल पर्ची शत-प्रतिशत एप के माध्यम से जारी करने हेतु ई-मण्डी एप्लीकेशन की परीक्षण/टेस्टिंग कर 10 दिवस में प्रतिवेदन मुख्यालय, भोपाल को भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(05) ई-अनुज्ञा पोर्टल :-

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर राज्य के बाहर के लिए जारी अनुज्ञा-पत्रों का सत्यापन अंतर्राज्यीय सीमा जांच चौकियां बंद होने के कारण नहीं हो पा रहा है। अतः इन अनुज्ञा-पत्रों को 72 घण्टे की अवधि पश्चात् जारीकर्ता मण्डी के स्तर से सत्यापन करने का आप्शन ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। सभी मण्डियां इसका उपयोग कर आगामी 15 दिवस में राज्य के बाहर के लिए जारी अनुज्ञा-पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(06) भुगतान पत्रक-सत्यापन की समीक्षा :-

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर 03 दिवस उपरांत के सत्यापन के लिए शेष बचे भुगतान पत्रकों की संख्या 862 है तथा 14 दिन से अधिक के कुल 13903 ऐसे भुगतान पत्रक हैं, जिनका मण्डियों के स्तर से सत्यापन किया गया है किन्तु मण्डी फीस प्राप्त नहीं हुई है। सभी आंचलिक अधिकारी समीक्षा कर यह देखे कि कहीं कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं है, यदि किसी सचिव/सत्यापनकर्ता द्वारा जानबूझकर लापरवाही, उदासीनता बरती जा रही है तो मण्डीवार समीक्षा कर ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव मुख्यालय, भोपाल को आगामी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे। असत्यापित भुगतान पत्रकों पर किसी कृषक का भुगतान बकाया ना हो, इसकी प्रमाणीकरण किया जाये तथा व्यापारियों से अवशेष मण्डी फीस पांच गुना पेनाल्टी व 24% ब्याज सहित जैसा प्रकरण में उल्लंघन पाया जावें शीघ्र जमा कराई जाकर तथ्यात्मक प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर मुख्यालय, भोपाल को उपलब्ध करावें।

(07) व्यापारी आई.डी. डिएक्टीवेशन :-

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर 824 व्यापारियों की आई.डी. डिएक्टीवेट पाई गई। संभागवार भोपाल 144, उज्जैन 190, इंदौर 206, सागर 79, रीवा 16, जबलपुर 105, ग्वालियर में 84 आई.डी. डिएक्टीवेट है। सभी आंचलिक अधिकारी समीक्षा करें एवं यह देखे कि किसी व्यापारी को परेशान करने अथवा लाभ पहुंचाने अथवा व्यापारी कारोबार कर रहा है एवं आई.डी. डिएक्टीवेट रखी गई है। उक्त आई.डी. कब से डिएक्टीवेट रखी गई है, इसकी मण्डीवार समीक्षा कर प्रतिवेदन 07 दिवस में मुख्यालय को उपलब्ध करावें। व्यापारी आई.डी. डिएक्टीवेशन के कारणों एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए एक परिपत्र मुख्यालय, भोपाल के स्तर से जारी करने के प्रबंध संचालक द्वारा निर्देश दिए गए।

(08) ई-अनुज्ञा-पत्र :-

कृषि उपज मण्डी बुरहानपुर में केले के अनुज्ञा-पत्र मैन्युअल जारी किया जाना संज्ञान में आया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। दिनांक 16.08.2019 से प्रदेश में ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू हो चुकी है, जिसमें केवल ई-अनुज्ञा ही जारी होंगे, स्पष्ट निर्देश है। इस प्रकार नियम/निर्देशों की अवहेलना एवं लापरवाही करने वाले बुरहानपुर मण्डी के दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के प्रबंध संचालक द्वारा निर्देश दिए गए। बुरहानपुर मण्डी के मामले में संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय इंदौर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों का नाम/पदनाम/पदस्थी अवधि एवं उनके कार्यकाल में जारी केले के मैन्युअल अनुज्ञा-पत्रों की संख्या सहित 07 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रबंध संचालक द्वारा सभी आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे भी अपने संभाग में मैन्युअल अनुज्ञा-पत्र जारी होने संबंधी तथ्यों की समीक्षा कर मण्डियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करें एवं मुख्यालय को 07 दिवस में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(09) ई-लाइसेंस :-

ऑनलाइन अनुज्ञप्ति के मामलों में रिजेक्टेड आवेदनों पर आवेदक को अनुज्ञप्ति फीस की वापसी मण्डी समिति को अपने स्तर से की जानी है। अनुज्ञप्ति फीस की यथासमय प्राप्ति में विलंब के संबंध में मुख्यालय, भोपाल की वित्त शाखा से संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध में परिपत्र मुख्यालय, भोपाल स्तर से जारी करने के निर्देश दिए गए।

(10) फार्म गेट एप :-

मण्डी प्रांगण के बाहर कृषकों को अपने खेत-खलिहान से कृषि उपज की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मण्डी बोर्ड द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से फार्म गेट एप विकसित किया गया है। उक्त एप का 18397 कृषकों द्वारा उपयोग कर 121 लाख क्विंटल विभिन्न उपजों का विक्रय अब तक किया जा चुका है। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि उक्त एप में कृषकों का पंजीयन बढ़ाया जाए एवं विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि कृषकों की उपज विक्रय होकर उन्हें अधिकतम कीमत प्राप्त हो सके।

(11) फ्लाइंग स्कॉट एप :-

कृषि उपज के वाहन, प्रतिष्ठान, गोदाम आदि के निरीक्षण व्यवस्था को डिजीटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराते हुए मण्डी बोर्ड द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से फ्लाइंग स्कॉट एप विकसित कर प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में टेस्टिंग स्वरूप उक्त एप का उपयोग करने हेतु यूजर मैन्युअल भेजा गया है। उक्त एप प्ले-स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। सभी मण्डियां कृषि उपज निरीक्षण कार्यवाईयों में उक्त एप का उपयोग आरंभ करें तथा एप के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर आंचलिक अधिकारी जानकारी संकलित कर टेस्टिंग/परीक्षण प्रतिवेदन आगामी 07 दिवस में मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(12) फल-सब्जी व्यापार :-

मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 06 में दिनांक 27.01.2012 से हुए संशोधन अनुसार केले को छोड़कर अन्य फल-सब्जियों का मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के बाहर व्यापार होने पर मण्डी फीस उद्ग्रहित की जा सकती है अथवा नहीं इस संबंध में मुख्यालय, भोपाल द्वारा विधिक अभिमत लेकर मण्डियों को निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। अत: यह सुनिश्चित किया जावे कि मण्डी/उपमण्डी प्रांगण के बाहर फल-सब्जियों के क्रय-विक्रय पर विधि विपरीत कोई कार्यवाही ना की जावे।

(13) अक्रियाशील मण्डी/उपमण्डी :-

प्रदेश में 298 उपमण्डी में से 185 उपमण्डी प्रांगण क्रियाशील एवं 113 अक्रियाशील है। आंचलिक अधिकारी कार्य योजना बनाकर समस्याओं का निराकरण करें एवं समय-सीमा नियत करते हुए शीघ्र उपमण्डियों को क्रियाशील करने हेतु प्रकरणवार समीक्षा कर वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मय कार्य योजना सहित 15 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(14) निर्मित एवं रिक्त संरचनाएं :-

प्रदेश की मण्डी समितियों में 2658 भूखण्ड एवं 1859 संरचनाएं नीलामी अथवा किराए पर आवंटन नहीं होने से रिक्त है। संभागवार भोपाल 1304 भूखण्ड एवं 338 संरचनाएं, उज्जैन 92 भूखण्ड एवं 347 संरचनाएं, इंदौर 44 भूखण्ड एवं 402 संरचनाएं, सागर 188 भूखण्ड एवं 155 संरचनाएं, रीवा 185 भूखण्ड एवं 109 संरचनाएं, जबलपुर 86 भूखण्ड एवं 226 संरचनाएं, ग्वालियर में 759 भूखण्ड एवं 282 संरचनाएं वर्तमान में रिक्त है। कीमत अधिक होने के कारण नीलामी नहीं हो पा रही है, तो किराए पर देने की कार्यवाही की जावे। एक अभियान के रूप में उक्त संरचनाओं की नीलामी/किराए पर आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जावे। यदि किसी मण्डी सचिवों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजे। सम्पदा किन कारणों से कब से रिक्त है, इसकी सभी आंचलिक अधिकारी मण्डीवार समीक्षा कर 01 सप्ताह में प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। मण्डियों में अभियान चलाकर सम्पदा का रख-रखाव, मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं जर्जर संरचनाओं को डिस्मेंटल कराने की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में मुख्यालय, भोपाल द्वारा परिपत्र भी जारी किए गए हैं। अत: आंचलिक अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, मण्डीवार समीक्षा कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(15) अतिक्रमण की समीक्षा :-

आंचलिक अधिकारियों द्वारा प्रदेश की मण्डियों में 2386 अतिक्रमण होना प्रतिवेदित किए गए हैं, जबकि गत वीडियो कांफ्रेंसिंग में 1698 अतिक्रमण बताये गये थे। संभागवार भोपाल 309. उज्जैन 124, इंदौर 193, सागर 37, रीवा 335, जबलपुर 713, ग्वालियर में 675 अतिक्रमण हैं। जून, 2023 में इंदौर में 13 तथा उज्जैन में 01 अतिक्रमण हटाए है। सभी आंचलिक अधिकारी मण्डीवार समीक्षा कर उक्त आंकड़ों की पुष्टि कर लें एवं इस हेतु विशेष अभियान चलाए। मण्डीवार/प्रकरणवार समीक्षा कर लक्ष्य निर्धारित करके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। इस हेतु पुलिस एवं प्रशासन का आवश्यक सहयोग लेकर कार्य में प्रगति लावें।

(16) राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व नामांतरण :-

प्रदेश की मण्डी/उपमण्डी प्रांगण की भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण के 95 प्रकरण लंबित पाए गए, जिसमें से 37 नामांतरण प्रकरण विभिन्न न्यायालय में लंबित है। संभागवार भोपाल 25, उज्जैन 17, इंदौर 12, सागर 08, रीवा 11 एवं जबलपुर 22 नामांतरण प्रकरण लंबित है। सभी आंचलिक अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण/मण्डीवार प्रकरणों की समीक्षा कर कार्य में प्रगति लावें एवं प्रतिवेदन 15 दिवस की समय-सीमा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(17) विभागीय जांच :-

वर्तमान में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के 44 अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। संभागवार भोपाल 03, उज्जैन 06, इंदौर 15, सागर 06, रीवा 02, जबलपुर 09, ग्वालियर 03 विभागीय जांच प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। विधान सभा आश्वासन के प्रश्नागत मामलों में संस्थित जांचें, फर्जी ई-अनुज्ञा-पत्र की जांचें, सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर संस्थित जांचें एवं काफी समय से लंबित विभागीय जांच प्रकरणों में प्राथमिकता से जांच प्रतिवेदन आगामी 15 दिवस की समयसीमा में उपलब्ध करावें। ध्यान रखा जावे कि दूषित जांच कार्यवाहियों से बचने एवं समयावधि में नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना जांचकर्ता अधिकारी का दायित्व है। मुख्यालय, भोपाल में विभागीय जांच संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में भी निर्देशित किया गया।

(18) शिकायत शाखा :-

संयुक्त संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों को आवंटित कुल 320 शिकायतों के जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। संभागवार भोपाल 30, उज्जैन 22, इंदौर 21, सागर 32, रीवा 32 जबलपुर 173, ग्वालियर 10 शिकायतें जांच हेतु लंबित है। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो(ई.ओ.डब्ल्यू.) की शिकायतें जबलपुर 01, इंदौर 02 एवं ग्वालियर 01 लंबित है, जिनके जांच प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर 01 सप्ताह के भीतर संबंधित आंचलिक अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(19) विधि शाखा :-

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर में कुल 883 न्यायालयीन प्रकरणों में से 852 में जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है। शेष 31 जवाबदावा प्रस्तुत होना शेष है, जिसमें संभागवार भोपाल 03, उज्जैन 04, इंदौर 04, सागर 02, जबलपुर 14 एवं ग्वालियर में 04 है। न्यायालयीन अवमानना के 79 प्रकरणों में से 28 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत हुआ है। कुल 51 प्रकरणों में जवाब-दावा प्रस्तुत होना शेष है, जिसमें संभागवार जबलपुर 41, ग्वालियर में 01, इंदौर 02, उज्जैन 02, भोपाल 01, सागर 03 एवं रीवा में 01 है। प्रभारी/आंचलिक अधिकारी शीघ्रता से प्रकरणों की समीक्षा कर जवाबदावा प्रस्तुत करावें तथा न्यायालयीन स्थगन को रिक्त कराकर प्रभावी प्रतिरक्षण करें।

सभी आंचलिक अधिकारी जवाबदावा प्रस्तुतिकरण की अद्यतन प्रगति 01 सप्ताह में प्रस्तुत कराने के निर्देश दिए गए।

(20) <u>योजना शाखा</u> :-

प्रदेश की मण्डी/उपमण्डियों में कृषकों एवं अनुज्ञप्ति हम्माल/तुलावटियों को रियायती दर 5/- रूपये भोजन योजना अंतर्गत संभागवार भोपाल 49, उज्जैन 42, इंदौर 32, सागर 36, जबलपुर 35, रीवा 18, ग्वालियर 45 कैंटीन स्थापित है, जिनमें से वर्तमान में 30 मण्डियों में भोजनालय (कैंटीन) बंद है। आंचलिक अधिकारी इनकी मण्डीवार समीक्षा कर बन्द पड़ी कैंटीन का संचालन प्रारंभ करावें। मुख्यालय, भोपाल द्वारा भोजन अनुदान के संबंध में परिपत्र क्रमांक-1218 दिनांक 08.05.2023 जारी किया गया है किन्तु 'स' एवं 'द' वर्ग की मण्डियों से भोजन अनुदान राशि के प्रस्ताव मुख्यालय, भोपाल को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आंचलिक अधिकारी समीक्षा कर प्रस्ताव भेजें।

प्रदेश की मण्डी/उपमण्डियों में 276 कृषक विश्राम गृह स्थापित है, जिसमें से 215 क्रियाशील एवं 61 अक्रियाशील है। संभागवार भोपाल 01, उज्जैन 05, इंदौर 27, सागर 05, जबलपुर 05, रीवा 09, ग्वालियर 09 कृषक विश्रामगृह अक्रियाशील है। आंचलिक अधिकारी इनकी मण्डीवार समीक्षा कर बंद पड़े कृषक विश्रामगृह को क्रियाशील करावें।

(21) <u>परिवीक्षा अवधि समाप्ति</u> :-

परिवीक्षा अवधि समाप्ति के कुल 29 प्रकरण लंबित पाए गए। संभागवार भोपाल 02, उज्जैन 04, इंदौर 03, सागर 03, रीवा 01, जबलपुर 08, ग्वालियर 08 प्रकरण लंबित है। संबंधितों के चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता की अंक-सूची का सत्यापन, जाति प्रमाण-पत्र आदि के सत्यापन की रिपोर्ट अपेक्षित है। सभी आंचलिक अधिकारी संबंधित कर्मचारियों से अंडरटेकिंग/एफीडेविट प्राप्त करें कि उन्हें किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है। संबंधित पुलिस अधीक्षक को अंतिम सूचना-पत्र जारी करें कि यदि 15 दिवस में पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो यह मानते हुए कि संबंधित की परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु उन्हें कोई आपति नहीं है, संबंधित की परिवीक्षा समाप्ति हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाएं। दिनांक 28.07.2023 को मण्डी बोर्ड द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में जिन परिवीक्षाधीन कर्मचारियों द्वारा भाग नहीं लिया जाता अथवा अंक-सूची/जाति प्रमाण-पत्र/विकलांगता प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, उन्हें अंतिम सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में वांछित दस्तावेज प्राप्त करें अन्यथा सेवा से पृथक करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

(22) <u>समयमान वेतनमान</u> :-

ऐसे पात्र कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन मुख्यालय, भोपाल द्वारा आंचलिक अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है, उनकी जानकारी मुख्यालय, भोपाल को उपलब्ध करावें। आंचलिक/तकनीकी कार्यालयों के नियंत्रण में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की दिनांक 30.07.2023 की स्थिति में लंबित समयमान के लिये

कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं पात्रता तिथि की एकजाई सूची दिनांक 28.07.2023 तक अनिवार्य रूप से मुख्यालय, भोपाल को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(23) <u>अनुकम्पा नियुक्ति</u> :-

अनुकम्पा नियुक्ति के संभाग- उज्जैन 01, इंदौर 01, रीवा 02, जबलपुर 01 कुल 05 प्रकरण लंबित पाए गए। आंचलिक अधिकारी प्रकरणवार समीक्षा कर मूल दस्तावेज, रिक्त पद की उपलब्धता आदि की जानकारी 07 दिवस में मुख्यालय को प्राथमिकता से उपलब्ध करावें। इस संवेदनशील मामले में सभी अधिकारी सक्रिय सहभागिता दिखाएं।

(24) <u>प्रशिक्षण</u> :-

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) एवं मण्डी बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में एगमार्कनेट पोर्टल से संबंधित प्रशिक्षण/कौशल विकास संभाग स्तर पर आयोजित किए जाने के संबंध में मुख्यालय, भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक 685 दिनांक 10.07.2023 जारी किया गया है। सभी आंचलिक अधिकारी अपने संभाग अंतर्गत एगमार्कनेट पोर्टल पर दैनिक आवक एवं भाव की रिपोर्टिंग करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में उपस्थिति सुनिश्चित एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक तैयारियां रखी जावे।

(25) <u>वैधानिक निधियां</u> :-

अपर संचालक(वित्त) द्वारा बताया गया कि अधिकांश मण्डियों से विपणन विकास निधि की राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसकी सूची पत्र क्रमांक- 1004 दिनांक 07.07.2023 के माध्यम से आंचलिक अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। संभागवार मण्डियां **भोपाल संभाग-** गुलाबगंज, भैंसदेही, होशंगाबाद, **इंदौर संभाग-** पेटलावद, बड़वानी, बलवाड़ी, **उज्जैन संभाग-** सोनकच्छ, बागली, जावद, मक्सी, बैरछा, बड़ौद, सौयतकलां, **ग्वालियर संभाग-** मकसूदनगढ़, मुंगावली, शाढ़ोरा, खतौरा, रन्नौद, आलमपुर, लहार, मेहगांव, मौ, जौरा, **सागर संभाग-** जैसीनगर, **जबलपुर संभाग-** वारासिवनी, खैरलांजी द्वारा अवशेष विपणन विकास निधि की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अत: आंचलिक अधिकारी मण्डीवार समीक्षा कर अवशेष राशि मुख्यालय, भोपाल को 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(26) <u>पेंशन प्रकरण</u> :-

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कुल 26 पेंशन प्रकरण लंबित पाए गए। संभागवार उज्जैन 05, इंदौर 06, जबलपुर 04, ग्वालियर 08 एवं सागर 03 प्रकरण लंबित है। पेंशन प्रकरणों का शीघ्रता से निपटारा कराए जाने के निर्देश दिए गए।

(27) <u>मण्डी सचिव के प्रस्ताव</u> :-

- सचिव, मण्डी इंदौर द्वारा मांग की गई है कि मण्डी प्रांगण के बाहर फल-सब्जी व्यापारी किसी कृषक की उपज खरीदी करते हैं, तो कृषक के भुगतान हेतु मण्डी समिति बाध्य नहीं है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर से परिपत्र जारी किया जावे।
- सचिव, मण्डी नरसिंहपुर द्वारा नवीन मण्डी प्रांगण हेतु भूमि अर्जन की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
- सहायक यंत्री, तकनीकी संभाग जबलपुर द्वारा किराए पर लगाने वाले वाहन की किराया दर में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया।
- मण्डी बोर्ड द्वारा पूर्व में सभी अधिकारियों को सी.यू.जी. सिम उपलब्ध कराई गई थी, जो बंद हो गई है। अतः मोबाइल देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुरोध किया गया।

प्रबंध संचालक द्वारा इन प्रकरणों में मुख्यालय स्तर से कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को 03 दिवस में नस्तियां प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए।

धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

पृ. क्रमांक-बोर्ड/समन्वय/वीडियो कांफ्रेंसिंग/2023/1886 भोपाल, दिनांक 31/07/2023

<u>प्रतिलिपि</u>:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री/उप संचालक/चीफ प्रोग्रमार/प्रोग्रामर/सहायक संचालक/ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ..... (समस्त)
5. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ..... (समस्त)
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ..... (समस्त) जिला .....।
7. आदेश नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल